पंचायती वित्त डेटा मजबूत करने पर जोर

समिति ने ग्राम पंचायत स्तर तक टाइम-सीरीज़ वित्तीय डेटाबेस बनाने की सिफारिश की

- संस्थागत सुधार और नई व्यवस्था
- डेटा की कमी से प्रभावित वित्त आयोग
- टाइम-सीरीज़ डेटाबेस की सिफारिश

नई दिल्ली, 9 जून केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति ने राज्य वित्त आयोगों के कामकाज को अधिक प्रभावी और डेटा-आधारित बनाने के लिए ग्राम पंचायत स्तर तक एक मजबूत और निरंतर अपडेट होने वाला टाइम-सीरीज़ वित्तीय डेटाबेस विकसित करने की सिफारिश की है.

समिति ने कहा है कि वर्तमान में पंचायतों की आय, व्यय, कर संग्रह और वित्तीय प्रदर्शन से जुड़ा व्यवस्थित और समयबद्ध डेटा उपलब्ध नहीं होने के कारण राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों की गुणवत्ता प्रभावित होती है. इस कमी को दूर करने के लिए एक समग्र डेटा प्रणाली विकसित करना अत्यंत आवश्यक है.

समिति की रिपोर्ट के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 243-आई के तहत गठित राज्य वित्त आयोगों का प्रमुख कार्य पंचायतों की वित्तीय स्थिति का आकलन कर संसाधनों के वितरण के लिए सिद्धांत तय करना है. लेकिन ग्राम पंचायत स्तर पर भरोसेमंद और अद्यतन डेटा की कमी के कारण ये आयोग अपने दायित्वों का प्रभावी ढंग से निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि डेटा की अनुपलब्धता के कारण वित्तीय विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया भी कमजोर हो रही है और नीतिगत निर्णयों की सटीकता प्रभावित हो रही है.

> समिति ने सुझाव दिया है कि पंचायत स्तर पर एक मानकीकृत टाइम-सीरीज़ वित्तीय डेटाबेस तैयार किया जाए, जिसमें राजस्व, व्यय, ट्रांसफर, ऋण और संपत्ति जैसी सभी वित्तीय जानकारियां नियमित रूप से अपडेट होती रहें. इसके अलावा ई-ग्रामस्वराज जैसे मौजूदा प्लेटफॉर्म्स के डेटा को और अधिक समन्वित और उपयोगी बनाने पर भी जोर दिया गया है.

अचानक 16,500 टूटी चांदी, सोना 10,000 प्रति 10 ग्राम गिरा

नई दिल्ली, 9 जून. 2026 अंतरराष्ट्रीय और घरेलू कमोडिटी बाजार में सोना और चांदी की कीमतों में अचानक तेज गिरावट दर्ज की गई है. इस गिरावट ने निवेशकों को हैरान कर दिया है, क्योंकि कुछ ही सत्रों में दोनों कीमती धातुओं के दाम बुरी तरह टूट गए. बाजार विशेषज्ञों के अनुसार इस गिरावट के पीछे मुख्य वजह अमेरिका से आए आर्थिक संकेत और डॉलर इंडेक्स में मजबूती मानी जा रही है.

ताजा अपडेट के मुताबिक, चांदी की कीमतों में करीब 16,500 प्रति किलोग्राम तक की भारी गिरावट देखने को मिली है, जिससे इसका भाव नीचे आ गया है. वहीं सोने की कीमत भी कमजोर होकर लगभग 10,000 प्रति 10 ग्राम तक टूट गई है.

पीयूष गोयल ने लॉन्च किया भव्य पोर्टल

100 औद्योगिक पार्कों का लक्ष्य

केंद्र-राज्य साझेदारी मॉडल

डिजिटल प्लेटफॉर्म से पारदर्शिता

नई दिल्ली, 09 जून केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राजधानी नई दिल्ली में 'भव्य पोर्टल' का शुभारंभ किया. यह पोर्टल भारत औद्योगिक विकास योजना (भव्य) के क्रियान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके तहत देशभर में सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस 100 औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे.

सरकार का उद्देश्य ऐसे औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है जो निवेश के लिए अनुकूल हो और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन को बढ़ावा दे सके.

सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत छह वर्षों में 100 विश्वस्तरीय औद्योगिक पार्क विकसित करने का लक्ष्य रखा है. इन पार्कों को अलग-अलग आकार और क्षेत्रीय आवश्यकताओं के आधार पर विकसित किया जाएगा. पहाड़ी क्षेत्रों और छोटे केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम 25 एकड़ के पार्क होंगे, जबकि बड़े राज्यों और औद्योगिक क्षेत्रों में 100 से 500 एकड़ तथा शहरी क्षेत्रों के पास 1,000 एकड़ तक के पार्क विकसित किए जा सकते हैं.

> 'भव्य पोर्टल' का विकास नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एनआईसीडीसी) द्वारा किया गया है. यह एक व्यापक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो औद्योगिक पार्कों के लिए आवेदन प्रक्रिया, परियोजना मूल्यांकन और निगरानी को सरल बनाएगा. निवेशकों को इस पोर्टल के माध्यम से भूमि की उपलब्धता, कनेक्टिविटी, आधारभूत ढांचे और स्थानीय सुविधाओं की विस्तृत जानकारी मिलेगी.

फिच ने घटाया भारत का विकास अनुमान

नई दिल्ली, 9 जून वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2026-27 (वित्त वर्ष 2026-27) के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 6.4 प्रतिशत कर दिया है. एजेंसी ने मार्च में जारी अपने पूर्वानुमान 6.7 प्रतिशत की तुलना में 0.3 प्रतिशत अंक की कटौती की है.

फिच ने पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं को इस संशोधन का प्रमुख कारण बताया है. हालांकि एजेंसी का मानना है कि मजबूत घरेलू मांग भारतीय अर्थव्यवस्था को सहारा देती रहेगी और विकास की गति बनाए रखने में मदद करेगी.

घरेलू मांग बनी रहेगी विकास की ताकत- फिच की जून 2026 में जारी 'ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक' रिपोर्ट के अनुसार निजी खपत और निवेश भारत की आर्थिक वृद्धि के प्रमुख आधार बने रहेंगे. एजेंसी का कहना है कि घरेलू मांग स्नङ्क27 में विकास दर की सबसे बड़ी चालक होगी. इसके अलावा आयात में कमी के कारण शुद्ध बाहरी मांग भी अर्थव्यवस्था को सकारात्मक समर्थन दे सकती है.

लोन के बावजूद बीमा सुरक्षित रखे कानून

नई दिल्ली, 9 जून. अधिकांश लोग यह मानते हैं कि जीवन बीमा पॉलिसी का पैसा मृत्यु के बाद सीधे परिवार को मिल जाता है, लेकिन वास्तविकता कई मामलों में अलग हो सकती है. यदि किसी व्यक्ति पर भारी कर्ज, बिजनेस लोन या व्यक्तिगत गारंटी की जिम्मेदारी होती है, तो उसकी जीवन बीमा राशि पर लेनदार दावा कर सकते हैं. ऐसे में परिवार को मिलने वाला आर्थिक सुरक्षा कवच भी प्रभावित हो सकता है. हालांकि, एक पुराना कानूनी प्रावधान—मैरीड वूमेन प्रॉपर्टी एक्ट मैरीड वूमेन प्रॉपर्टी एक्ट, 1874), —ऐसी स्थिति में पत्नी और बच्चों के हितों की रक्षा कर सकता है. जीवन बीमा कई मामलों में मृतक की संपत्ति (एस्टेट) का हिस्सा माना जाता है.

रिलायंस इंफ्रा ने सेबी से की अपील

वर्तमान व्यवस्था के तहत कंपनी के शेयरों में सख्त निगरानी नियम लागू हैं

नई दिल्ली, 9 जून. रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने अपने शेयर कारोबार पर लगे प्रतिबंधों को लेकर भारतीय बाजार नियामक संस्थाओं सेबी , नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सामने औपचारिक अपील दायर की है.

कंपनी ने दिवाला और ऋणशोधन अक्षमता संहिता से जुड़े निगरानी ढांचे और उसके तहत लागू अतिरिक्त निगरानी उपाय की समीक्षा की मांग की है.

वर्तमान व्यवस्था के तहत कंपनी के शेयरों में सख्त निगरानी नियम लागू हैं, जिनके कारण सीमित दायरे में और सप्ताह में केवल एक बार ही कारोबार की अनुमति मिलती है. इस प्रतिबंध का उद्देश्य आमतौर पर उन शेयरों पर नियंत्रण रखना होता है जिनमें अत्यधिक अस्थिरता, सट्टेबाजी या वित्तीय जोखिम की आशंका होती है. हालांकि रिलायंस इंफ्रा का कहना है कि ये प्रतिबंध कंपनी की वास्तविक वित्तीय स्थिति और उसके परिचालन प्रदर्शन को सही तरीके से नहीं दर्शाते.

> कंपनी ने अपने बयान में कहा कि इस तरह के नियमों का असर सात लाख से अधिक खुदरा और सार्वजनिक शेयरधारकों पर पड़ रहा है. इसके कारण शेयर की कीमतों में प्राकृतिक बाजार गतिविधि बाधित हो रही है और निवेशकों के लिए सही मूल्य निर्धारण संभव नहीं हो पा रहा है. कंपनी का तर्क है कि सीमित ट्रेडिंग विंडो और 5% प्राइस बैंड जैसी पाबंदियां बाजार की सामान्य गति को रोक देती हैं,

यूरोपीय संघ को निर्यात रहेगा जारी

नयी दिल्ली, 09 जून यूरोपीय संघ (ईयू) ने खाद्य-स्वास्थ्य नियमों के तहत भारत को सितंबर 2026 के बाद भी अपने बाजार में मछली, शहद, अंडे और पशुओं की आंत के निर्यात को जारी रखने की मान्यता दे दी है.

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने सोमवार को एक विज्ञप्ति में बताया कि यूरोप की संशोधित नियामकीय व्यवस्था के तहत भारत को उन देशों की सूची में रखा गया है जो सितंबर 2026 के बाद उसे जलीय कृषि (मछली) उत्पाद, अंडे, शहद और पशु-आंत का निर्यात करने के पात्र पाये गये हैं. भारत के जलीय कृषि और समुद्री उत्पादों (मछल-झींगा) के लिए ईयू एक बड़ा बाजार बन कर उभरा है.

रोगाणुरोधी प्रतिरोध संबंधी बढ़ती चिंताओं को देखते हुए, यूरोपीय आयोग ने पशु उत्पादों के आयात संबंधी विनियमन 2021/405 में संशोधन किया है जो संशोधित विनियमन सितंबर 2026 से प्रभावी होगा. इसके तहत वहां निर्दिष्ट पशुओं के उत्पाद का निर्यात करने वाले देशों के लिए कुछ अतिरिक्त शर्तें निर्धारित की गई हैं.

भारत के उत्पाद इन शर्तों के अनुरूप पाये गये हैं और उसे उन देशों की सूची में शामिल किया गया है जो इस वर्ष सितंबर के बाद भी ईयू के बाजारों में इन उत्पादों का निर्यात कर सकेंगे. ईयू को भारत लगभग 1.59 अरब डॉलर की मछली और मत्स्य उत्पादों का का निर्यात करता है.

> वाणिज्य मंत्रालय का कहना है कि वाणिज्य विभाग द्वारा निर्यात निरीक्षण परिषद और अन्य हितधारकों के साथ घनिष्ठ तालमेल रखते हुए निरंतर प्रयास से यह उल्लेखनीय प्रगति संभव हुई है. नियामक आवश्यकताओं और बाजार पहुंच संबंधी मुद्दों को सुलझाने के लिए वाणिज्य विभाग यूरोपीय आयोग के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है, जबकि निर्यात निरीक्षण परिषद ने यूरोपीय संघ के नियमों के अनुरूप बेहतर निरीक्षण, जांच और प्रमाणन उपायों से भारत की आधिकारिक नियंत्रण प्रणाली सुदृढ़ की है.

भारत निर्माण वृद्धि में दूसरा स्थान पर

बर्लिन, 09 जून बुनियादी ढांचों के निर्माण पर ज्यादा ध्यान देने के कारण वैश्विक निर्माण वृद्धि में मौजूदा दशक में योगदान के मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है.

वास्तुकला, इंजीनियरिंग और निर्माण प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता रखने वाली बर्लिन स्थित वेंचर कैपिटल फर्म फाउंडामेंटल की 'स्टेट ऑफ द प्रोजेक्ट इकोनॉमी 2026' रिपोर्ट में यह बात कही गयी है. रिपोर्ट के अनुसार, 2020 से 2030 के बीच वैश्विक निर्माण वृद्धि में योगदान देने वाले देशों में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है. इस मामले में उसने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है. भारत और चीन ने मिलकर इस अवधि के दौरान वैश्विक निर्माण वृद्धि में लगभग 40 प्रतिशत का योगदान दिया है.

रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक पूंजीगत व्यय तेजी से पांच देशों — भारत, चीन, अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस — में केंद्रित होता जा रहा है.

फाउंडामेंटल के सह-संस्थापक एवं जनरल पार्टनर शुभांकर भट्टाचार्य ने कहा, 'साल 2020 से 2030 के बीच निर्माण की मात्रा के आधार पर वैश्विक निर्माण वृद्धि में भारत की हिस्सेदारी 14.1 प्रतिशत है.

> इस कुल व्यय में, अवसंरचना विश्व स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाला प्रमुख निर्माण खंड है, जो 2020 से 2025 के बीच 5 .1 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ रहा है . भारत में यह गति और भी अधिक है ; देश का अवसंरचना बाजार दशक के अंत तक लगभग आठ प्रतिशत वार्षिक दर से बढ़ने का अनुमान है, जो वैश्विक औसत से काफी अधिक है . रिपोर्ट यह भी बताती है कि 1960 के बाद से वैश्विक सकल स्थिर पूंजी निर्माण लगभग 30 गुना बढ़ चुका है और यह निवेश अब कुछ प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अधिक केंद्रित होता जा रहा है .

वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष के लिए ब्याज की दर बढ़ी

नयी दिल्ली, 09 जून. सरकार ने वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष के लिए ब्याज की दर में भारी बढ़ोतरी करते हुए इसे 6.85 प्रतिशत कर दिया है. यह दर वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अधिसूचित की गयी है. वित्त मंत्रालय की सोमवार देर रात जारी अधिसूचना में कहा गया है कि वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष के तहत जमा पर ...01 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक की अवधि के लिए 6.85 प्रतिशत ब्याज दर प्रभावी होगी. यह दर 01 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी.

आईटीआर स्क्रूटनी के नए नियम जारी

नई दिल्ली, 9 जून. अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनके तहत आईटीआर की अनिवार्य गहन जांच के नियम और सख्त कर दिए गए हैं.

इसका सीधा उद्देश्य टैक्स चोरी पर रोक लगाना और उन मामलों की पहचान करना है, जहां टैक्सपेयर्स की घोषित आय और वास्तविक वित्तीय लेन-देन में अंतर पाया जाता है. गहन जांच यानी स्क्रूटनी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आयकर विभाग किसी टैक्सपेयर के रिटर्न की बारीकी से जांच करता है. इसमें सिर्फ आय ही नहीं, बल्कि खर्च, निवेश, बैंक ट्रांजैक्शन और टैक्स छूट से जुड़े सभी दावों की जांच की जाती है.

शीला दीक्षित की बेटी के राजनीति में आने के संकेत

नई दिल्ली. दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की बेटी लतिका दीक्षित ने सक्रिय राजनीति में आने के संकेत दिए हैं. उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस उन्हें टिकट देती है तो वह चुनाव लड़ने से पीछे नहीं हटेंगी. लतिका दीक्षित ने कांग्रेस संगठन, महिला प्रतिनिधित्व और दिल्ली की राजनीति को लेकर खुलकर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस से उनका जुड़ाव नया नहीं है.

लतिका दीक्षित ने पहली बार 1984 में अपनी मां के लिए कन्नौज से चुनाव प्रचार शुरू किया था. उन्होंने दावा किया कि 1998 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर रणनीति बनाने में भूमिका निभाई थी और बाद के चुनावों में भी शीला दीक्षित के प्रचार अभियान की जिम्मेदारी संभाली.

उन्होंने कहा कि दिल्ली के विकास और आधुनिक स्वरूप में शीला दीक्षित का बड़ा योगदान रहा है और वह चाहती हैं कि उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया जाए. लतिका दीक्षित ने साफ कहा कि वह चुनावी राजनीति में आना चाहती हैं और यदि पार्टी उन्हें मौका देती है तो वह इनकार नहीं करेंगी. उन्होंने कहा, दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को एक महिला ही बेहतर तरीके से जवाब दे सकती है.

महिलाओं को जगह कोई नहीं दे रहा

नई दिल्ली. अप्रैल में जब नारी शक्ति वंदन कानून में संशोधन का बिल संसद के विशेष सत्र में पेश किया गया तो ऐसा लगा जैसे भाजपा और उसके नेताओं को महिलाओं की कितनी परवाह है. विपक्षी पार्टियों ने भले इसका विरोध किया था लेकिन महिलाओं के प्रति जुबानी जमाखर्च करने में उसने भी कंजूसी नहीं की थी. उसके बाद पांच राज्यों के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रचार के दौरान विपक्ष को महिला विरोधी साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई. भाजपा अपने को इस बात के लिए प्रतिबद्ध बता रही है कि वह महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देगी. लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनाव में उसने 294 सीटों में से कुल 33 सीटों पर महिलाओं को उतारा था. यानी करीब 11 फीसदी टिकट महिलाओं को दिया था. भाजपा को 207 सीटें मिली हैं, जिनमें से 21 महिलाएं हैं.

कार्यालय नगर पालिका परिषद विदिशा म .प्र .

क्रमांक/3082 to 3086/लोक निर्माण शाखा/2026 — विदिशा, दिनांक 09/06/2026

:: ई-निविदा आमंत्रण सूचना ::

नगर पालिका परिषद विदिशा द्वारा निम्न कार्यों हेतु ई-निविदाओं का आमंत्रण किया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र	निविदा क्र	ई-टेन्डर न.	कार्य का विवरण	निविदा विवरण	कार्य की अनुमानित लागत	अमानत राशि	ई-निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण की समयावधि	ई-निविदा क्रय अंतिम दिनांक
1	3082	2026_UAD_514292_1	Construction work of asphalt Road at ward no. 33 aambali colony smadhi to govt.School Vidisha	II Call	7722937.00	57922.00	10000.00	06 Month	23/06/2026
2	3083	2026_UAD_514299_1	Construction work of RCC Drain at ward no. 30 khari phatak meel chouraha over bridge different streets.	II Call	2312130.00	17341.00	5000.00	06 Month	23/06/2026
3	3084	2026_UAD_514328_1	Construction work of C.C. Road at ward no. 30 Neem bali gali and various streets vidisha.	II Call	2422840.00	18171.00	5000.00	06 Month	23/06/2026
4	3085	2026_UAD_514383_1	Construction work of C.C. Road at ward no. 36 Krishna colony various streets vidisha.	I Call	5189520.00	38921.00	10000.00	06 Month	10/07/2026
5	3086	2026_UAD_514402_1	Construction work of RCC Drain at ward no. 32 Sagar road petrol pump to peehu auto vidisha	II Call	2454156.00	18406.00	5000.00	06 Month	23/06/2026

नोट :- निविदा प्रपत्र क्रय, डाउनलोड करने एवं निविदा से संबंधित समस्त शर्तें एवं जानकारी https://www.mpetenders.gov.in से एवं नगर पालिका परिषद विदिशा की लोनिवि शाखा से प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद किसी भी प्रकार का संशोधन होने पर बेवसाइट पर या कार्यालय से जानकारी प्राप्त होगी। संशोधन का प्रकाशन समाचार पत्र में नहीं किया जावेगा।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद,विदिशा

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

क्षेत्रीय कार्यालय: प्लाट नं. 160-161, पीयू-4, सी-21 माल के पीछे, स्कीम नं. 54, ए.बी. रोड, इन्दौर

मांग सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) सपठित प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम के अन्तर्गत नोटिस

आपके, निवेदन पर हमारी शाखा द्वारा निम्नलिखित ऋणियों / जमानतदारों, आपको विभिन्न वित्तीय साख सीमाएं स्वीकृत की थी एवं हमको देय कुल राशि में से आपने पूरी राशि भुगतान करने में चूक की है। चूकि आपने आपकी पूर्ण देयताओं के भुगतान में चूक की है अत: हमने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आस्तियों के वर्गीकरण से संबंधित जारी निर्देशों एवं मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार आपकी देयताओं को गैर निष्पादक आस्तियों (NPA) के रूप में दिनांक **31.03.2026 (स्कीम नं. 78 शाखा के लिए) एवं 21.05.2026 (सुदामा नगर शाखा के लिए)** (एनपीए तिथि) को वर्गीकृत किया है। आपको यह भी सूचित किया जाता है कि हमारे द्वारा अनेकों बार नोटिस देने एवं व्यक्तिगत निवेदन के पश्चात भी कथित ऋणों का भुगतान आपके द्वारा नहीं किया गया। आपको विदित है कि हमारे द्वारा दी गई विभिन्न साख सीमाएं निम्न संपत्तियों (सुरक्षित संपत्तियों) द्वारा अभिरक्षित है।

क्रं.	ऋणी/संपत्ति मालिक/ बंधककर्ता के नाम एवं पते	संपत्ति का विवरण	मांग सूचना दिनांक / ₹ बकाया राशि
	स्कीम नं. 78 शाखा, इन्दौर		
1.	**मेसर्स करिश्मा इंटरप्राईजेस (ऋणी), प्रोप्राईटर: श्री आशीष पाटीदार पिता स्व. रमेश पाटीदार (ऋणी) युनीट का पता:** 90, रेवेन्यु नगर, अन्नपूर्णा रोड, इन्दौर (म.प्र.) 452009, **आवासीय पता:** 77-बी, उषा नगर एक्स्टेंशन, इन्दौर (म.प्र.) 452009, **स्थाई पता:** 07, शक्ति निवास, गाँधी मार्ग, वल्लभ पथ, अंजड़, जिला बड़वानी (म.प्र.) 451556, **श्री हरिश पाटीदार पिता स्व. रमेश पाटीदार (जमानतदार),** 07, शक्ति निवास, गाँधी मार्ग, वल्लभ पथ, अंजड़, जिला बड़वानी (म.प्र.) 451556,	**अचल संपत्ति:** प्लाट/मकान नं. 255, वार्ड नं. 04, वल्लभ पथ गली नं. 03, अंजड़, जिला बड़वानी (म.प्र.) पर स्थित भूमि एवं किराये का रहवासी मकान का साम्यिक बंधक, **क्षेत्रफल: 1488 वर्गफीट, मालिक: श्री हरिश पाटीदार पिता स्व. रमेश पाटीदार एवं आशीष पाटीदार पिता रमेश पाटीदार, चर्तु:सीमा: पूर्व:** लेन/कॉमन गली, **पश्चिम:** भोंगली नदी, **उत्तर:** कैलाश सातन का मकान, **दक्षिण:** प्रभु दयाल देव का मकान, **चल संपत्ति:** स्टॉक सहित सभी बंधक रखी गई वस्तुएँ	मांग सूचना दिनांक 19.05.2026 **24,61,975.15** + दिनांक 28.02.2026 से ब्याज एवं अन्य खर्चे व चार्जेस
	सुदामा नगर शाखा, इन्दौर		
2.	**एकलव्य एग्रो वेयरहाउसिंग (ऋणी एवं बंधककर्ता), 2. श्रीमती आरती तोमर पति नरेन्द्र तोमर, पता:** बी-136, अंसल टाउनशिप, तालावली चांदा, इन्दौर 453771 (म.प्र.) **जमानतदार एवं बंधककर्ता: 1. मेसर्स किसान पेराडाईज, प्रो.: श्रीमती नीतु साहु पति अनुज साहु,** ए-182, अंसल टाउनशिप, तालावली चांदा, इन्दौर 453771 (म.प्र.) **2. श्रीमती शिल्पी बांडिल पति अमित बांडिल,** फ्लेट नं. डी-1003, मलबेरी गुलमोहर रेनैसांस, गेट नं. 1185-बी, बैफ रोड, हवेली, जिला पुणे 412207 महाराष्ट्र	सर्वे नं. 8/9, मौजा ग्राम चिलाचौन, पटवारी हल्का नं. 04, गोरा-चिलाचौन रोड, तहसील बाबई (माखन नगर) एवं जिला होशंगाबाद (नर्मदापुरम) पर स्थित सर्वे नं. 8/9 पर स्थित व्यवसायिक परिवर्तित भूमि का साम्यिक बंधक, **क्षेत्रफल: 0.809 हेक्टर, मालिक: नीतु साहु, आरती तोमर, शिल्पी बांडिल,** रजिस्टर्ड सेल डीड नं. MP169782022A1069809 दिनांक 21.01.2022 सब/ज्वाईंट रजिस्ट्रार होशंगाबाद में रजिस्टर्ड, **चर्तु:सीमा: पूर्व:** संतोष पटेल की भूमि, **पश्चिम:** हरिशंकर धिमर की भूमि, **उत्तर:** गौरा ग्रामीण रोड , **दक्षिण:** ध्रुव पटेल की भूमि	मांग सूचना दिनांक 26.05.2026 **1,18,26,658.23** + दिनांक 30.04.2026 से ब्याज एवं अन्य खर्चे व चार्जेस

उपरोक्त वर्णित कारणों से हम आपसे नोटिस जारी होने की तिथि से 60 दिवस की अवधि के अन्दर आपकी देयताओं की सम्पूर्ण रूप से भुगतान की मांग करते है जिसमें चूक की दशा में वित्तीय आस्ति प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के तहत हम अपनी शक्तियों का उपयोग करेंगे।आपको यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त तालिका में वर्णित **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया** के हित मे प्रतिभूत की गई आस्तियाँ को बैंक की लिखित सहमति के बिना विक्रय पत्र, लीज या अन्य प्रकार से अंतरित नहीं करेंगे। हम आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहते है की यदि आपने अधिनियम के प्रावधानों की अवेहलना की तो वित्तीय आस्ति प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम की धारा 2002 की उप धारा 29 के अन्तर्गत एक वर्ष की जेल या जुर्माना या फिर दोनों ही सजा हो सकती है। **अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के अनुसार बंधक संपत्ति को मुक्त करने के बारे में उपलब्ध समय के संबंध में ऋणियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।**

स्थान: इन्दौर, दिनांक: 10.06.2026 — **प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया**